(वाद सं०– 2400/4/30/2022)

20.02.2023

परिवादी, डॉ0 मनीष कुमार वर्मा, उपस्थित है।

परिवादी को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला परिवादी, डॉ0 मनीष कुमार वर्मा, पूर्व चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अलौली, खगड़िया को उसके नियंत्री पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अलौली, खगड़िया द्वारा आकस्मिक अवकाश मांगे जाने पर उक्त अवकाश को स्वीकृत नहीं करने, पद का दुरूपयोग करते हुए परिवादी के साथ मोबाईल पर गाली–गलौज करने एवं हत्या की धमकी दिये जाने से सम्बन्धित है।

उक्त पर **जिला पदाधिकारी, खगड़िया** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, खगड़िया** द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच हेतु उनके द्वारा चिकित्सकों की 03 सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया। उक्त जांच दल द्वारा दिनांक–11.07.2022 को परिवादी द्वारा उपलब्ध कराये गये Audio Clip की जांच की गयी। जांच प्रतिवेदनानुसार, जांच के क्रम में यह प्रतीत होता है कि परिवादी व उसके नियंत्री पदाधिकारी, डॉ0 मनीष कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अलौली, खगड़िया द्वारा उत्तेजित होकर शब्दों का प्रयोग किया जाता रहा है। इसी वाद–विवाद में उत्तेजनावश डॉ0 मनीष कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अलौली, खगड़िया द्वारा अपशब्दों का प्रयोग किया गया, जिसके लिए उनकी ओर से खेद व्यक्त कर माफी मांग ली गयी है। 03 सदस्यीय जांच दल का अपने प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख है कि डॉ0 मनीष कुमार,

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अलौली, खगड़िया अपने कार्य, कर्त्तव्य और व्यवहार के प्रति संवेदनशील है। जांच प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि परिवादी द्वारा जो अपनी भावनाएँ लिखित रूप में व्यक्त की गयी है, वह पूर्वाग्रह से ग्रसित प्रतीत होता है, जो निन्दनीय है। जांच प्रतिवेदन में डॉ0 मनीष कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अलौली को उनके अपशब्दों के प्रयोग के लिए कड़ी चेतावनी देते हुए भविष्य में इस तरह की कृत्य की पुनरावृति न करने का निर्देश दिया गया है।

उपरोक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गयी। परिवादी का अपने प्रत्युत्तर में 03 सदस्यीय जांच दल के उपरोक्त निष्कर्ष का प्रतिवाद किया गया है तथा उनके द्वारा डॉ0 मनीष कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अलौली, खगड़िया के साथ असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, खगड़िया पर भी आक्षेप लगाया गया है।

आज सुनवाई क्रम में परिवादी का कथन है कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अलौली, खगड़िया के अधीनस्थ चिकित्सा पदाधिकारियों आकस्मिक अवकाश की मांग किये जाने पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी काफी उत्तेजित हो जाते हैं तथा अधीनस्थ चिकित्सा पदाधिकारियों के विरूद्ध काफी अनाप–शनाप बोलते रहते है। परिवादी का यह भी कथन है कि उनकी चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में संविदा अवधि समाप्त हो चुकी है तथा वर्तमान में वह निजी प्रैक्टिस कर रहा है।

अपने अधीनस्थ कर्मियों के आकस्मिक अवकाश को स्वीकृत करने का उसके नियंत्री पदाधिकारी को विशेषाधिकार प्राप्त है तथा इसके लिए उस पर किसी तरह का दबाव दिया जाना उचित नहीं है।

प्रसंगाधीन मामले में जब दोषी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा अपने कृत्य के लिए माफी मांग ली गयी है तथा भविष्य में उपरोक्त कार्य की पुनरावृति नही करने की चेतावनी दे दी गयी है तो ऐसी परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं पाकर इसे संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, खगड़िया के प्रतिवेदन (पृष्ठ 13–12/प0) की प्रति संलग्न कर परिवादी को सूचनार्थ भेज दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक